Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

आदेश

यह कि श्री शमशेर सिंह, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक, जीन्द की जन्मतिथि 07.09.1966 है, जिस अनुसार कर्मचारी दिनांक 30.09.2024 को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करता है। कर्मचारी ने उसकी विकलांगता के दृष्टिगत् 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त सेवानिवृत करने के सम्बन्ध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में CWP-23480/2024 titled Shamsher Singh V/s State of Haryana and others दायर की थी, जिसमें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये थे:–

> "The disability certificates relied upon by the petitioner, which do not show that the petitioner suffers from permanent disability are 18/28 years old.
>
> Adjourned to 22.10.2024.
>
> Before the adjourned date, the petitioner shall place on record his latest disability cerfificate".

यह कि कर्मचारी द्वारा दायर उक्त सी0डब्लयू0पी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई Interim/Stay Order पारित न किये जाने के कारण कर्मचारी को मुख्यालय के आदेश दिनांक 27.09.2024, जोकि पत्र पृ0 कमांक 1ई(1)-2024/14226-27 दिनांक 27.09.2024 द्वारा जारी किये गये हैं, के तहत दिनांक 30.09.2024 को "subject to the final outcome of the CWP-23480 of 2024 (titled as Shamsher Singh V/s State of Haryana and others" की शर्त पर सेवानिवृत किया गया था।

कर्मचारी द्वारा दायर CWP No. 23480 of 2024 में दिनांक 11.11.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थे:–

> "In pursuance to the order of this Court dated 28.10.2024 a report dated 09.11.2024 from the Medical Board constituted by the PGIMER, Chandigarh has been produced in a sealed cover which, after opening the seals, is perused and taken on record.
>
> As per the afore referred report of PGIMER, Chandigarh the petitioner is visually handicapped by 40% and has 25.43% hearing impairment.
>
> Learned counsel for the petitioner inter alia relies on the issuance of notice and grant of interim relief in a similar matter being CWP No.6460 of 2023 - Dilbag Singh Vs. State of Haryana and others.
>
> Notice of motion.
>
> Ms. Shruti Jain Goel, Senior DAG, Haryana accepts notice on behalf of the respondents and prays for time to file a written statement.
>
> Adjourned to 26.11.2024.
>
> To be heard along with CWP-6460-2023.
>
> Interim order in the same terms."

समानान्तर CWP No. 6460 of 2023-Titled as Dilbag Singh Vs State of Haryana में दिनांक 27.03.2023 द्वारा माननीय न्यायालय ने निम्न आदेश पारित किये थे:–

> "To be heard along with CWP No. 2340-2023."

समानान्तर CWP No. 2340-Titled as Jora Singh Vs State of Haryana में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2023 को पारित आदेशों का आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से है:–

> "Therefore, pending further order the respondents are directed to permit the petitioner to continue to perform his duties until further orders.

यह कि कर्मचारी द्वारा दायर CWP No. 23480 of 2024-Titled as Shamsher singh Vs State of Haryana में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2024 को पारित आदेशों की पालना में कर्मचारी को पुनः

Government of Haryana/हरियाणा सरकार
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

सेवा में लेते हुये मुख्यालय द्वारा जारी कर्मचारी के सेवानिवृति आदेश दिनांक 27.09.2024, जोकि पत्र पृ0 कमांक 1ई(1)-2024/14226-27 दिनांक 27.09.2024 द्वारा जारी किये गये थे, को withdraw कर लिया गया था।

यह कि कर्मचारी द्वारा दायर किये गये केस को समानान्तर CWP 2340 of 2023 Tilted as Jora Singh Vs State of Haryana & Other के साथ क्लब किया गया था जिसके अंतिम निर्णय दिनांक 06.11.2025 का आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से हैः–

> "In such circumstances, while deciding these matter(s), we deem it appropriate to clarify that it shall be open for the State of Haryana to take a conscious decision whether or not to allow the extended age of superannuation for persons suffering with disability, in light of the provisions contained in the Act of 1995 as also the Act of 2016."

यह कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की पालना में वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र कमांक 11/58/2023–1एफ0आर0/2714 दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से हरियाणा सिविल सर्विसिस (जनरल) रूल–2016 के नियम–143 के उपनियम-(1), clause (i), clause (ii), Note 1 and Note 3 का लोप कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप मुख्यालय के पत्र कमांक 1E(1)-IFS-2026/2748-49 दिनांक 17.02.2026 द्वारा कर्मचारी को सेवा से तुरंत प्रभाव से सेवानिवृत कर दिया गया था।

यह कि कर्मचारी ने अब माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मुख्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2026 के विरूद्ध CWP 5980 of 2026 Titled as Shamsher Singh & Another Vs State of Haryana दायर किया है जिसके आदेश दिनांक 26.02.2026 का आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से हैः–

> "Adjourned to 23.07.2026.
> To be heard alongwith CWP-4225-2026.
> Interim order in the same terms as was passed n CWP-4225-2026."

यह कि CWP-4225-2026 titled as Jagroop Singh Vs Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation(HSFDC) में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2026 का आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से हैः–

> "In the meantime, operation of the impugned order dated 04.02.2026 (Annexure P-9) shall remain stayed."

CWP 4225-2026 में Impugned Order दिनांक 04.02.2026 का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

> "In compliance of Hon'ble Punjab and Haryana High Court order dated 25.04.2025 passed in CWP 11362 of 2025 titled as Jagroop Singh Vs State of Haryana and Others, vide office order no. Endst. No. Estt.(PF-504)/2025/5457-62, dated 16.05.2025, Sh. Jagrop Singh was posted at HSFDC, Panchkula, against a vacant post of District Manager. His posting was subject to the outcome of the final decision of the Hon'ble Court in that writ or any CM, application, to be filed by HSFDC in this regard. The Hon'ble High Court vide judgment dated 06.11.2025 pronounced in CWP 2340-2023 (O&M) disposed of all the writ petitions and left it open for the State of Haryana to take a decision in this regard.
>
> The Finance Department, Govt. Of Haryana, vide instruction No. 1/58/2023-1FR/2714 dated 03.02.2026 has intimated that the provision contained in Rule-143 Sub-Rule (1) clause (i), clause (ii), Note 1 and Note 3 of HCS (General) Rules -2026 have been omitted.
>
> Therefore, the order dated 16.05.2025 is hereby withdrawn and Sh. Jagroop Singh, District Manager, HSFDC, Panchkula, is relieved from his duties in the Corporation immediately."

इस प्रकार कर्मचारी द्वारा दायर CWP 5980 of 2026 Titled as Shamsher Singh & Another Vs State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पारित आदेशों की पालना में **श्री शमशेर सिंह** को पुनः सेवा में लेते हुये मुख्यालय द्वारा जारी कर्मचारी के सेवानिवृति आदेश दिनांक 17.02.2026, जोकि पत्र कमांक 1E(1)-IFS-2026/2748-49 दिनांक 17.02.2026 द्वारा जारी किये गये हैं, को withdraw किया जाता है।

तदानुसार मैं ऐसे आदेश पारित करता हूँ।

दिनांक, चण्डीगढ़
17.03.2026

अंशज सिंह, आई0ए0एस0
महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

पृ0 कमांक 1ई(1)–2026/IFS/Retirement/4856 दिनांक, चण्डीगढ़ 20.03.2026

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1 महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ़ को CWP No. 5980 of 2026 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पारित आदेशों के संदर्भ में।
2 प्रधान महालेखाकार, हरियाणा(A&E), चण्डीगढ, सैक्टर–33, चण्डीगढ।
3 खजाना अधिकारी, जीन्द।
4 जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जीन्द।
5 सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में।
6 उप–अधीक्षक(पैंशन शाखा), मुख्यालय।
7 सभी शाखा अधिकारी, मुख्यालय।
8 उप–अधीक्षक, स्थापना शाखा–111, मुख्यालय।
9 निजी सचिव/महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति।
10 2ई(1) को उप–अधीक्षक, स्थापना शाखा–1 के माध्यम से।
11 एस0ई0ओ0, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12 श्री शमशेर सिंह, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति, मार्फत जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, जीन्द।

Megha 17/3/26

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कृतेः महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।